सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 22, गुरूवार, *शाके* 1947- जून 12, 2025
Jyaistha 22, Thursday, Saka 1947- June 12, 2025

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर, विकास प्राधिकरण जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मई 26, 2025

संख्या जविप्रा/उपा.7/2025/डी.–962 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सृजित आवासीय चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या 3/6 क्षेत्रफल 324 व.मी., जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार मिश्रित दर्शाया गया है, का आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत् अधिसूचना दिनांक 14.01.2025 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति /सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

<u>उपान्तरण</u>

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सृजित आवासीय चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या 3/6 क्षेत्रफल 324 व.मी., में से सडक मार्गाधिकार हेतु 3.0 मीटर गहराई तक की भूमि क्षेत्रफल 36 व.मी. निःशुल्क समर्पण पश्चात् शेष भूमि 288 व.मी. जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार मिश्रित दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर प्लान-2025 के अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 26.05.2025 को जारी की गई।

निशान्त जैन,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।